निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1058) पटना, बुधवार, 16 सितम्बर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

9 जुलाई 2015

सं0 1188—**पटना जिलान्तर्गत श्री श्री गौरी शंकर सूर्य नारायण मंदिर, सूर्य नारायण घाट (बालू घाट) महेन्द्रु, पटना** पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–4295 है।

उक्त मंदिर के संबंध में श्री शैलेन्द्र सिंह एवं स्थानीय जनता का एक आवेदन दिनांक 19/09/13 पर्षद कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसमें मंदिर के निबंधन का आग्रह किया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में पर्षदीय पत्रांक–1144, दिनांक 01/10/13 द्वारा अंचलाधिकारी, पटना से उक्त मंदिर की जांच कर प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त पत्र के अनुपालन में अंचल पदाधिकारी, पटना सदर का प्रतिवेदन पत्रांक– 7257, दिनांक 27/12/13 पर्षद को प्राप्त हुआ एवं इसके आलोक में दिनांक 13/01/14 को मंदिर का निबंधन पर्षद में किया गया।

तत्पश्चात उक्त मंदिर के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु न्यास समिति गठन के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–125/गो0, दिनांक 28/02/15 द्वारा ग्यारह सदस्यों का नाम प्राप्त हुआ।

अतः उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए इस न्यास की सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा–32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है ।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''**श्री श्री गौरी शंकर सूर्य नारायण मंदिर, सूर्य नारायण घाट (बालू घाट) महेन्द्रु, पटना**'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री श्री गौरी शंकर सूर्य नारायण मंदिर न्यास योजना,** सूर्य नारायण घाट (बालू घाट) महेन्द्रु, पटना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री श्री गौरी शंकर सूर्य नारायण मंदिर न्यास समिति,** सूर्य नारायण घाट (बालू घाट) महेन्द्रु, पटना'' होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती हैः–

(1)	श्री शिव नाथ मेहता, बालू घाट	–	अध्यक्ष
(2)	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, बालू घाट	–	सचिव
(3)	श्री उदय शंकर रजक, घघा घाट	–	सदस्य
(4)	श्रीमति सुषमा प्रसाद, बालू घाट	–	सदस्य
(5)	श्री गणेश कुमार, सुल्तानगंज	–	,,
(6)	श्रीमति कलावती देवी, बालू घाट	–	,,
(7)	श्री विपुल कुमार, गुलबी घाट	–	,,
(8)	श्री चन्देश्वर सिंह, बालू घाट	–	,,
(9)	श्री सुनील कुमार, महमदपुर	–	,,
(10)	श्री सोनू कुमार, बालू घाट	–	,,
(11)	श्री श्याम नारायण कुशवाहा, देवी स्थान, गुलबी घाट	–	,,

12. न्यास समिति बैठक कर आपसी सहमति से कोषाध्यक्ष का चुनाव करेगी एवं उसके अनुमोदन हेतु पर्षद कार्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित करेगी।

13. इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा ।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1058-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in